न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी—श्री श्रवणसिंह राठौड आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण सख्या 51 / 2021 (2022 / 00019) | दायर दिनांक— 10.11.2021 फैसल दिनांक— 5-2-2024

अनवान

श्री कमलचन्द पिता दमजी मोड पटेल जति कलाल निवासी अंबाडा सागवाडा। बनाम भूमिधारी जरिये तहसील सागवाडा।

वाद अन्तर्गत एल0 आर0 एक्ट 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत

निर्णय

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी / वादी कमलचन्द पिता दमजी मोड पटेल निवासी अंबाडा तहसील ओंबरी द्धारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि मौजा अंबाडा पटवार मण्डल अंबाडा में खाता संख्या 547 / 54 खसरा नम्बर 1291 / 1 कुल खसरा 1 कुल रकबा 0.0809 हेक्टर स्थित है। उक्त भूमि जमाबन्दी सम्वत 2074—2077 में दर्ज रेकार्ड है जिसका खसरा नम्बर 1291 / 1 रकबा 0.0809 हैक्टेयर दर्ज रेकार्ड होकर किस्म आबादी दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि को त्रुटिवंश लट्ठा नक्शे में पैमुद नही किया गया है। अतः खाता संख्या 547 / 54 खसरा नम्बर 1291 / 1 रकबा 0.0809 हैक्टेयर मेरी कब्जेशुदा भूमि पर तरमीम कराने का श्रम करावे।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की प्रकृति का होने से राजस्व वाद में दर्ज रजिस्टर किया जाकर भूमिधारी की रिपोर्ट प्राप्त कि गई।

भुमिधारी की रिपोर्ट अनुसार मौजा अंबाडा के खाता संख्या 547 / 54 खसरा नम्बर 1291 हैक्टेयर किस्म आबादी दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त खसरा नम्बर पर प्रार्थी का कब्जा है। तथा उक्त भूमि पडत होकर निर्माण नही है। भूमिधारी / पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के क्रम मे सकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

हमने प्रार्थना पत्र, भूमिधारी एवं पटवारी की रिपोर्ट प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2074—2077,नक्शा ट्रैस नकल मौजा अबाडा भूमिधारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया। भूमिधारी / पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 1291 / 1 रकबा 0.0809 हैक्टेयर में प्रार्थी के कब्जे की भूमि पर तरमीम किया जाना उचित है।

Scanned with OKEN Scanner

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र/वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार ओंबरी को आदेश दिया जाता है कि मौजा अंबाडा में खसरा नम्बर 1291/1 रकबा 0.0809 हैक्टैयर में प्रार्थी के कब्जे की भूमि को नक्शा लट्ठा में तरमीम किया जावे।

निर्णय अनुसार पालना हेतु तहसीलदार ओंबरी को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो।

(श्रवणसिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner